



लोकल डिलीवरी सर्विस

लोकल डिलीवरी सर्विस क्या होती है?

हमारी लोकल डिलीवरी सर्विस में विशेष रूप से प्रशिक्षित क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र्स होते हैं जो स्कॉटलैंड के प्रत्येक स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में स्थित होते हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करने में सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं।

इस सर्विस तक कौन पहुंच सकता है?

यह सर्विस स्कॉटलैंड के प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र में मौजूदा या नए ग्राहकों सहित सभी लोगों के लिए उपलब्ध है।

क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र क्या करता है?

एक क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र:

- हमारे सभी लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे योग्यता, आवेदन कैसे करना है और, सपोर्ट कहां से और कैसे मिलेगी
- पेपर या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में मदद करता है
- पहचान या दस्तावेज़ की जाँच करता है
- परिस्थितियों के परिवर्तन की जानकारी दाखिल करने में लोगों की सहायता करता है
- प्रशंसा, शिकायत या फीडबैक करने में लोगों की मदद करता है
- रीडिटर्मिनेशन और अपील की प्रक्रिया और समय-सीमा के बारे में जानकारी प्रदान करता है
- ग्राहकों की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों से मिलता है
- लोगों को ऐसी अन्य प्रासंगिक सेवाओं को संदर्भित करता है या उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है जो सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती हैं, जैसे स्कॉटिश सरकार की स्वतंत्र प्रतिपालन सेवा

क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र क्या नहीं करता है?

एक क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र:

- कार्य और पेंशन विभाग (DWP) या लोकल अथॉरिटी के लाभों के लिए आवेदन फार्म भरने में सहायता नहीं करता
- किसी व्यक्ति की ओर से वकालत नहीं करता
- पैसों से जुड़ी समस्याओं या कर्ज के प्रबंधन के बारे में सलाह नहीं देता
- आवास समस्याओं के लिए सहायता प्रदान नहीं करता

यदि किसी क्लाइंट को इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, तो हमारे क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र आपको प्रासंगिक सर्विस को संदर्भित करेंगे या उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे।



मीटिंग्स कहाँ होती हैं?

किसी क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र से बात करने के लिए, लोग अपनी पसंद की जगह और समय चुन सकते हैं। केवल मुलाकात तय करके मिला जा सकता है। मिलने के स्थानों में शामिल हैं:

- अपनी लोकल कम्यूनिटी में कोई स्थान
- अपने घर में
- किसी अस्पताल या जेल में
- वीडियो कॉल के ज़रिए
- टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट के ज़रिए

कोई व्यक्ति यह सेवा कैसे प्राप्त कर सकता है?

क्लाइंट हमें 0800 182 2222 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई संचार या पहुंच संबंधी आवश्यकताएं हैं, तो कृपया हमें पहले से बताएं ताकि हम उचित व्यवस्था कर सकें।

क्या सोशल सिक्योरिटी स्कॉटलैंड अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है?

हम सभी अपॉइंटमेंट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखते हैं।

अनुरोध किए जाने पर, क्लाइंट सपोर्ट एडवाइज़र भरे हुए आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी सुलभ फार्मेट में प्रदान कर सकते हैं।





हम अपना काम करने के लिए बहुत सारे डेटा को संसाधित करते हैं। हम अपने ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा और सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कैसे करते हैं, यहीं जाकर mygov.scot/social-security-data

किन अन्य तरीकों से लाभों के लिए आवेदन किया जा सकता है?

लोग हमारे सभी लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और mygov.scot/benefits पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

आप फोन पर आवेदन कर सकते हैं या 0800 182 2222 पर कॉल करके डाक द्वारा कागजी आवेदन फार्म मंगवा सकते हैं।

लोग हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं?

-  इस नंबर पर हमें निःशुल्क कॉल करें: 0800 182 2222
-  टेक्स्ट रिले सेवा: 18001 +0300 244 4000 (ऊंचा सुनने वालों के लिए)
-  ब्रिटिश साइन भाषा उपयोगकर्ता: contactscotland-bsl.org
-  वेब चैट: chat.socialsecurity.gov.scot